

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या- प्रशि.प्रको./एम.बी.बी.एस./पुनर्योजन/2020-21/2629

लखनऊ : दिनांक 14/09/2020

—:: आदेश ::—

नवीन एम0बी0बी0एस0

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपटित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पाँच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकों को परामर्शी (कन्सल्टेन्ट) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

- 1- पुनर्योजन केवल एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों का ही किया जायेगा। एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सल्टेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
- (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
- (3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
- (4) पुनर्योजित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भाँति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
- (5) पुनर्योजन की अवधि में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
- (6) पुनर्योजन पर नियुक्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
- (7) जनपदवार/एम0बी0बी0एस0 पुनर्योजित चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भाँति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
- (8) पुनर्योजन पर तैनात एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

- 3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- 4- यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० के संज्ञान में लाया जाय।
- 5- पुनर्योजित एम०बी०बी०एस० परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Place of Posting
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Mahendra Singh	9545	06-01-1958	31-01-2020	Under CMO Barabanki
2.	Dr. Ram Singar	8480	07-07-1958	31-07-2020	Under CMO Pilibhit
3.	Dr. Jitendra Pratap	6963	15-07-1955	31-07-2015	Under CMO Rae Bareilly
4.	Dr. Subodh Kumar Pandey	11785	01-07-1958	30-06-2020	Under CMO Jhansi
5.	Dr. Dinesh Kumar Singh	10280KA	17-07-1958	31-07-2020	Under CMO Kanpur Dehat
6.	Dr. Bhaiya Lal Viratia	10616	30-06-1958	30-06-2020	Under CMO Sambhal
7.	Dr. Bhikhari Lal Gupta	11781	02-07-1957	31-07-2019	Under CMO Kanpur Dehat

For Selected Candidate:-

- a. It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- b. It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- c. The time for joining will be 15 days within date of appointment


महानिदेशक

संख्या- प्रशि.प्रको./एम.बी.बी.एस./पुनर्योजन/2020-21/2630-39

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- 4- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नारायण रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर जो भी बाद में हो, प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- 10- गार्ड फाइल।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)